BIS/HQ/GSD/CIRCULAR: 02/2023
20 February 2023

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(GENERAL SERVICES DEPARTMENT)

Our Ref: HQs GSD 03a/1/2023-GSD-BIS.
Subject: Providing Sim Card to Activities Heads, Branch Heads Department Heads & Lab Heads.

CIRCULAR

It has been decided by Competent Authority to provide mobile numbers to all the activity Head/ Heads of RO's/BO's/Labs/NITS/Department at HQ to address the issues face by the licenses/consumer and industry in the event of superannuation/transfer of the concerned heads. In the event of superannuation/ transfer, the SIM will be handed over to the new incumbent. In order to streamline the process, following guidelines have been prepared.

1. In the first phase, mobile SIM will be provided to the above mentioned eligible officers by GSD. It shall be responsibility of the concerned officer to immediately activate the SIM and such number will be the primary point of contact with the stakeholders.

2. In the event of damage/destruction/loss of SIM Card, the concerned employee will immediately bring it to the notice of GSD via mail on gsd@bis.gov.in. GSD will then guide the concerned officer regarding further course of action in the matter.

3. HRD/Establishment Department will provide a copy of transfer order/retirement memo of such officers to GSD for further action regarding handing over of the SIM Card to the new incumbent after completing related formalities.

4. The SIM Cards will be in the name of BIS & will remain the property of BIS. However, as communicated by Vodafone Idea Limited, TRAI guidelines mandates providing Aadhar number of the end user. Therefore, all the DDGs / heads of all the BOs/Labs/NITS/Department at HQs are required to provide their Aadhar number to Sh. Jai Pal Singh, Section Officer (GSD) (Mobile: 9910114784) for onwards submission to Vodafone Idea Limited. In the event of any transfer/retirement etc, It shall also be the responsibility of both the new and old incharge to ensure that their Aadhar number are updated in the records to ensure compliance of TRAI guidelines.

5. The existing telephone policy dated 30/07/2008 providing the monthly reimbursement of residential telephone bills of mobile number eligible officers will continue. The facility of additional mobile number is being provided keeping in view the functional requirement of Bureau of Indian Standards.

6. The consolidated payment of these mobile numbers will be done at HQs by the General Services Department.

7. Sh. Jai Pal Singh, Section Officer (GSD) will be nodal officer for this purpose. Any grievance/issue/change may be communicated to him to ensure smooth implementation of the scheme.

8. This issues with the approval of Competent Authority.

(Neha Singhal)
Director (GSD)

Circulated to all Departments of BIS HQs,ROs/Bos/Lab & NITS Noida.

भा.मा.ब्यूरो/मुख्यालय/सा.से.वि/परिपत्र: 02 /2023
20 फरवरी 2023

भारतीय मानक ब्यूरो
सामान्य सेवाऐं विभाग

हमारा संदर्भ:मुख्यालय जीएसडी 03a/1/2023-जीएसडी.भामा.ब्यूरो.
विषय: गतिविधि प्रमुखों,शाखा प्रमुखों, विभाग प्रमुखों व प्रयोगशाला प्रमुखों को सिम कार्ड प्रदान करने के संबंध में।

परिपत्र

सक्षम प्रधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंसधारियों/उपभोक्ता व उद्योगों को सेवानिवृत्त/स्थानांतरण की स्थिति में आने वाली समस्याओं के समाधान के मामले हेतु मुख्यालय के सभी गतिविधि प्रमुखों/मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/ प्रयोगशालाओं/प्रशिक्षण सस्थान के प्रमुखों को मोबाइल नम्बर प्रदान करना है। संबंधित प्रमुखों के सेवानिवृत्त/स्थानांतरण की स्थिति में सिम नए तैनात पदाधिकारी को सौपा जाएगा। इस प्रक्रिया को सुव्यस्थित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए गए है।

1. पहले चरण में उपरोक्त पात्र अधिकारियों को मुख्यालय द्वारा मोबाइल सिम उपलब्ध कराई जाएगी। सिम को तत्काल सक्रिय करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी, यह नम्बर हितधारकों के साथ संपर्क का प्राथमिक बिंदु होगा।

2. सिम कार्ड के क्षतिग्रस्त/नष्ट/खो जाने की स्थिति में जीएसडी के संज्ञान में लाते हुए,तुरंत gsd@bis.gov.in मेल करना होगा। जीएसडी संबंधित अधिकारी को इस मामले के कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन करेगा।

3. सेवानिवृत्त/स्थानांतरण की स्थिति में संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने व नए पदाधिकारी को सिम कार्ड सौंपने के लिए एचआरडी/स्थापना विभाग सेवानिवृत्त/स्थानांतरण आदेश की प्रति जीसडी को प्रदान कराऐंगे।

4. सिम कार्ड भा.मा.ब्यूरो के नाम पर होगा, जो भा.मा.ब्यूरो की संपत्ति होगी। यद्दपि वोडाफोन आइडिया के द्वारा से सूचित किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम उपयोगकर्ता को आधार नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। अत: मुख्यालय के सभी गतिविधि प्रमुखों/मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/ प्रयोगशालाओं/प्रशिक्षण सस्थान के प्रमुखों से निवेदन है कि श्री जय पाल सिंह,अनुभाग अधिकारी (जीएसडी) (मोबाइल:9910114784) को अपना-अपना आधार नंबर प्रदान करने का कष्ट करें। जो वोडाफोन आइडिया को यथा समय प्रस्तुत किया जा सके। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित का आधार नम्बर अभिलेखों में अद्यतन कराने के लिए सेवानिवृत्त/स्थानांतरण आदि की स्थिति में उत्तरदायित्व नए व पुराने दोनों प्रभारियों की होगी।

5. मोबाइल नंबर पात्र अधिकारियों के आवासीय टेलीफोन बिलों की मासिक प्रतिपूर्ति प्रदान करने वाली मौजूदा टेलीफोन नीति दिनांक 30/07/2008 सतत जारी रहेगी। भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधि अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त मोबाइल नंबर की सुविधा प्रदान की जा रही है

6. इन मोबाइल नम्बरों का समेकित भुगतान सामान्य सेवाऐं विभाग,मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

7. श्री जय पाल सिंह,अनुभाग अधिकारी (जीएसडी) इस उद्देश्य के लिए नोडल अधिकारी होंगे। किसी भी शिकायत/मामले/परिवर्तन के बारे में योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जा सकता है।

8. यह सक्षम प्राधिकारी महोदय से अनुमोदन के बाद जारी किया जा रहा है।

नेहा सिंघल
20/2/23

(नेहा सिंघल)
निदेशक (जीएसडी

भा.मा.ब्यूरो के सभी विभागों, क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/प्रयोगशालाओं तथा एन आई टी एस नोएडा में परिचालित.